

श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 21.06.2024 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित जयपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र, सीतापुरा (बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

- श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ)
- श्री प्रवीण कुमार मित्तल, संयुक्त, आयकर आयुक्त, जयपुर।
- श्री पी.एन. शर्मा, संयुक्त. निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- सुश्री आशमा चावला, सहायक डीजीएफटी, जयपुर
- श्री अनिल लखानी, उप प्रबंधक, रीको, जयपुर।

i) श्री बुद्धि प्रकाश, निर्दिष्ट अधिकारी, ii) श्री नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र iii) श्री संजय झा, वरिष्ठ आरएम (आरआईआईसीओ) और iv) श्री पंकज शर्मा, सहायक विकास आयुक्त भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे। बताया गया कि गणपूर्ति पूरा हो गया और बैठक आगे बढ़ सकती है।

अध्यक्ष ने प्रारंभ में प्रतिभागियों का स्वागत किया और फिर एक-एक करके कार्यसूची मदों पर विचार-विमर्श किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ विकासक/इकाइयों के प्रतिनिधियों/आवेदकों के साथ बातचीत के बाद विस्तृत विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए।

कार्यसूची संख्या 1- 17.05.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:

यह सूचित किया गया कि अनुमोदन समिति/व्यापार/इकाई के किसी भी सदस्य से 17.05.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के निर्णयों के विरुद्ध कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है। अतः दिनांक 17.05.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

कार्यसूची संख्या 2- अधिकृत वस्तुओं की व्यापक सरबंदी के साथ स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के लिए मेसर्स बामलवा ज्वेल्स का प्रस्ताव:::

2.1 बैठक में मेसर्स बामलवा ज्वेल्स, प्लॉट संख्या एच-63, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)-II के स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 2-117-विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)-II (जे) परियोजना/379 दिनांक 12.05.2006 में अधिकृत वस्तुओं की व्यापक सरबंदी के साथ स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

2.2. श्री जय हनुमान सोनी, प्रोपराइटर, इकाई की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। समिति द्वारा पूछे जाने पर, उन्होंने बताया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए टिप्पणियों के सही विवरण और उत्तर के साथ संशोधित फॉर्म-एफ1 प्रस्तुत करेगी।

सुरेंद्र मलिक

2.3. सीमा शुल्क प्रभाग की सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने इकाई की स्थिति पर गंभीरता से ध्यान दिया। समिति ने इकाई के प्रदर्शन पर भी ध्यान दिया। सोने के आभूषणों (सादे और जड़े हुए) के लिए दर्शाई गई व्यावसायिक योजना के आधार पर, समिति का विचार था कि इकाई को इकाई को फिर से शुरू करने का अवसर दिया जाना चाहिए, जिसकी निगरानी की जाएगी। तदनुसार, स्वीकृति पत्र (LOA) को केवल 31.12.2024 तक नवीनीकृत किया गया था, इस निर्देश के साथ कि दिसंबर-2024 में आयोजित होने वाली अनुमोदन समिति की बैठक में इकाई के निर्यात प्रदर्शन की निगरानी की जाए और प्रदर्शन के आधार पर आगे के नवीनीकरण पर निर्णय लिया जाए। इसके अलावा, समिति ने निम्नलिखित वस्तुओं/अधिकृत कार्यों के विनिर्माण को भी मंजूरी दी:

क्रमांक	आईटीसी/सीपीसी कोड	वस्तु विवरण	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
1	71131911	सोने के आभूषण सादे और बिना जड़ित	किग्रा	50.00
2	71131913	प्राकृतिक हीरे जड़ित सोने के आभूषण 7102	किग्रा	50.00

2.4 प्रस्ताव का अनुमोदन इकाई को पहले से बताई गई टिप्पणियों के सुधार के अधीन है। इकाई को 16.08.2017 के निर्देश संख्या 88 का सख्ती से पालन करना होगा। इसके अलावा, इकाई उपरोक्त उद्देश्यों के लिए BLUT को भी क्रियान्वित करेगी।

कार्यसूची संख्या 3- अधिकृत वस्तुओं की विस्तृत जानकारी के साथ स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीकरण के लिए मेसर्स मौर्य इंटरनेशनल का प्रस्ताव:

3.1 बैठक में मेसर्स मौर्य इंटरनेशनल, प्लॉट संख्या एच1-73, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)-II द्वारा स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 2-5/2004-विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)-II (जे) परियोजना/122 दिनांक 04.06.2004 में अधिकृत वस्तुओं की व्यापक सरबंदी के साथ स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

3.2 श्री नरेश जैन, प्रबंधक, इकाई की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। समिति द्वारा पूछे जाने पर, उन्होंने बताया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए टिप्पणियों के उत्तर और सही विवरण के साथ संशोधित फॉर्म-एफ1 प्रस्तुत करेगी।

3.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से 31.12.2024 तक स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण को **सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी।** हालांकि, यह नवीनीकरण और स्वीकृति पत्र (LOA) में उत्पादों की सूची इकाई द्वारा उत्पादित विशिष्ट व्यवसाय योजना और निर्यात आदेशों के अनुसार उत्पाद सूची की समीक्षा के अधीन है। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त के कार्यालय को इकाई द्वारा दिए जाने वाले निर्यात आदेशों के आधार पर फाइल पर उत्पाद सूची की जांच करने का अधिकार देने का भी निर्णय लिया।

सुंदर मलिक

कार्यसूची संख्या 4- अधिकृत वस्तुओं की व्यापक सरबंदी के साथ स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीकरण के लिए मेसर्स ग्लोब इंटरनेशनल का प्रस्ताव:

4.1 बैठक में मेसर्स ग्लोब इंटरनेशनल, प्लॉट संख्या एच-49, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)-I, सीतापुरा, जयपुर के स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 1-28/2003-विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)-I(जे)प्रोज/303, दिनांक 28.06.2011 के नवीनीकरण के लिए अधिकृत वस्तुओं की व्यापक सरबंदी के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

4.2 श्री रवि खंडेलवाल, प्रबंधक इकाई की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। समिति द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इकाई आगे की कार्यवाही के लिए सही विवरण और टिप्पणियों के उत्तर के साथ संशोधित फॉर्म-एफ1 प्रस्तुत करेगी।

4.3. उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से तीसरे ब्लॉक के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के प्रस्ताव को अगले पांच वर्षों यानी 27.06.2029 तक के लिए मंजूरी दे दी। इसके अलावा, समिति ने निम्नलिखित को छोड़कर अधिकृत संचालन को भी मंजूरी दे दी:-

क्रमांक	आईटीसी/सी पीसी कोड	वस्तु विवरण:	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
1.	71039110	मरम्मत की गई, पुनः निर्मित रूबी प्रयुक्त या पुराना टूटा हुआ	कैरट	100000.00
2.	71039120	मरम्मत की गई, पुनः निर्मित नीलम	कैरट	100000.00
3.	71039130	मरम्मत की गई, पुनः निर्मित नीलम प्रयुक्त या पुरानी टूटी हुई	कैरट	100000.00
4.	71039912	मरम्मत की गई, पुनः निर्मित नीलम प्रयुक्त या पुरानी टूटी हुई	कैरट	100000.00
5.	71039913	मरम्मत की गई, पुनः निर्मित पीला सुनहरा गुलाबी लाल हरा बेरिल प्रयुक्त या पुराना टूटा हुआ	कैरट	100000.00
6.	71039919	मरम्मत की गई, पुनः निर्मित क्रायोस्बेरील जिसमें क्रायोस्बेरील भी शामिल है बिल्ली की आंख प्रयुक्त या पुराना टूटा हुआ	कैरट	100000.00
7.	71039921	मरम्मत की गई, पुनः निर्मित अन्य पत्थर एक्वामरीन, मोर्गेनाइट इस्तेमाल की गई या पुरानी टूटी हुई	कैरट	100000.00

सुरेंद्र मलिक

8.	71039929	मरम्मत की गई, पुनः निर्मित चन्द्रकान्त प्रयुक्त या पुराना टूटा हुआ	कैरट	100000.00
9.	71039931	मरम्मत की गई, पुनः निर्मित अन्य पत्थर सैमाजोनाइट, लैब्राडोराइट, सन पत्थर, कोरन्डम, फेल्डस्पार इस्तेमाल किया हुआ या पुराना टूटा हुआ	कैरट	100000.00
10.	71039932	मरम्मत किया हुआ, फिर से बनाया गया गार्नेट इस्तेमाल किया हुआ या पुराना टूटा हुआ	कैरट	100000.00
11.	71039939	मरम्मत किया हुआ, फिर से बनाया गया तामड़ा इस्तेमाल किया हुआ या पुराना टूटा हुआ	कैरट	100000.00
12.	71039941	मरम्मत की गई, पुनः निर्मित अन्य पत्थर स्लैजुराइट, मैलाकाइट, हेसोनाइट, त्सावोराइट इस्तेमाल की गई या पुरानी टूटी हुई	कैरट	100000.00
13.	71039942	मरम्मत किया हुआ, पुनः निर्मित प्रीहाइट इस्तेमाल किया हुआ या पुराना टूटा हुआ	कैरट	100000.00
14.	71039943	मरम्मत किया हुआ, पुनः निर्मित सुलेमानी पत्थर इस्तेमाल किया हुआ या पुराना टूटा हुआ	कैरट	100000.00
15.	71039944	मरम्मत की गई, पुनः निर्मित एवेंट्यूरिन प्रयुक्त या पुरानी टूटी हुई	कैरट	100000.00
16.	71039949	मरम्मत की गई, पुनः निर्मित चाल्सेडनी प्रयुक्त या पुरानी टूटी हुई	कैरट	100000.00
17.	71039949	मरम्मत की गई, पुनः निर्मित अन्य पत्थरसेमेथिस्ट, सिट्रीन, क्वाटर्ज, गोमेद, रक्त पत्थर, क्राइसोफ्रेज, जैस्पर, कॉर्नेलियन प्रयुक्त या पुराना टूटा हुआ	कैरट	100000.00
18.	71039951	मरम्मत की गई, पुनः निर्मित ट्रमलाइन इस्तेमाल की गई या पुरानी टूटी हुई	कैरट	100000.00
19.	70039952	मरम्मत की गई, पुनः निर्मित तंजानाइट इस्तेमाल की गई या पुरानी टूटी हुई	कैरट	100000.00
20.	71039990	मरम्मत की गई, पुनः निर्मित अन्य अर्ध कीमती पत्थर इस्तेमाल की गई या पुरानी टूटी हुई	कैरट	500000.00
21.	71023910	मरम्मत की गई, पुनः निर्मित हीरा	कैरट	5000.00

सुरेंद्र मलिक

समिति ने निम्नलिखित अधिकृत परिचालन के विवरण को बदलने का भी निर्णय लिया, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:-

क्रमांक	आईटीसी/सी पीसी कोड	वस्तु विवरण:	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
1.	71179090	मरम्मत किये हुए, पुनः निर्मित, पुनः पिघलाये हुए नकली आभूषण, जो कि आधार धातु से बने हैं, जिनमें हीरे नहीं बल्कि बहुमूल्य और अर्ध-कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। पुराने, टूटे और प्रयुक्त नकली आभूषण, जो कि आधार धातु से बने हैं, जिनमें हीरे नहीं बल्कि बहुमूल्य और अर्ध-कीमती पत्थर जड़े हुए हैं।	किग्रा	5.00

4.4. यह अनुमोदन इकाई को पहले से दी गई टिप्पणियों के सुधार और 2.52 लाख रुपये के बराबर रीको बकाया जमा करने के अधीन है। इकाई को वाणिज्य विभाग (डीओसी) द्वारा जारी विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 से संबंधित निर्देश संख्या 88 दिनांक 16.08.2017 का सख्ती से पालन करना होगा। इसके अलावा, इकाई उपरोक्त उद्देश्यों के लिए बीएल्यूटी भी निष्पादित करेगी।

कार्यसूची संख्या 5- मेसर्स सिंघल एक्सपोर्ट्स के शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव का प्रस्ताव और मेसर्स सिंघल एक्सपोर्ट्स द्वारा प्लॉट नंबर एच1-81, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)-I1, सीतापुरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), जयपुर में बिल्डिंग सहित अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों को बाहर निकालने और मेसर्स अयाना ज्वेल्स, प्लॉट नंबर एच1-88, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)-II, सीतापुरा, जयपुर को विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियमों के नियम 74ए के तहत स्थानांतरित करने का प्रस्ताव - के संबंध में।

5.1 बैठक में मेसर्स सिंघल एक्सपोर्ट्स, प्लॉट संख्या एच1-88, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)-II द्वारा शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन तथा प्लॉट संख्या एच1-81, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)-I1, सीतापुरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)-II, जयपुर में भवन सहित अपनी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को मेसर्स अयाना ज्वेल्स, प्लॉट संख्या एच1-88, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)II, सीतापुरा, जयपुर को विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियमों के नियम 74ए के अंतर्गत स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 2-54-विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)-II (जे) परियोजना/259 दिनांक 24.09.2004 के तहत हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

5.2. अनुमोदन समिति ने इस बात पर ध्यान दिया कि मेसर्स सिंघल एक्सपोर्ट्स ने दिनांक 21.06.2024 के पत्र के माध्यम से व्यक्तिगत कारणों से स्थगन का अनुरोध किया है।

सुरेंद्र मलिक

5.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियमों के नियम 74ए के तहत शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन और भवन सहित अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

ए बिपिन मेनन

(ए बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त